

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की एक पहल

समाचारों में क्यों ?

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, स्कूली शिक्षा को रोजगारोन्मुख और गुणवत्तापरक बनाने के लिये कई कदम उठा रहा है। विभाग विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों और वैश्विक बाजार के लिये युवाओं को शिक्षित करने, रोजगार लायक और प्रतस्पर्द्धी बनाने के उद्देश्य से केंद्र प्रायोजित "राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" (Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyaan) योजना के अंतर्गत माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिक घटक को कार्यान्वित कर रहा है। इसमें शिक्षित और रोजगार लायक युवाओं के बीच के अंतर को भरने, माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की दर कम करने और उच्चतर स्तर पर शिक्षण के दबाव को कम करने पर भी ध्यान दिया गया है।

प्रमुख बंदि

- इस योजना में नौ से बारहवीं कक्षा तक सामान्य शैक्षिक वर्षों के साथ ही खुदरा व्यापार, ऑटोमोबाइल, कृषि, दूरसंचार, स्वास्थ्य देखभाल, ब्यूटी एंड वेल्नेस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सुरक्षा, मीडिया और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों के रोजगारोन्मुख व्यावसायिक वर्षिय शुरू किये गए हैं।
- राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) से संबद्ध औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के छात्रों को शैक्षिक समानता प्रदान करने के लिये 15 जुलाई, 2016 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्वायत्त संगठन - नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये।
- एमओयू के तहत क्रमशः आठवीं और दसवीं कक्षा के बाद दो वर्ष का आईटीआई कोर्स करने वाले आईटीआई छात्रों/पासआउट के लिये माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।
- माध्यमिक स्तर पर छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिये आरएमएसए के अंतर्गत विभिन्न पहलों को वित्तीय सहायता दी गई है। इनमें नमिनलखित शामिल हैं-
 - छात्र- शैक्षिक अनुपात में सुधार के लिये अतिरिक्त शैक्षिक
 - शैक्षिकों और प्रधानाचार्यों के लिये नेतृत्व प्रशिक्षण सहित इंडकशन और इन-सर्विस ट्रेनिंग
 - गणति और वज्ज्ञान कटि
 - स्कूल में आईसीटी सुवधियाँ
 - प्रयोगशाला उपकरण
 - सीखने को बढ़ावा देने के लिये विशेष प्रशिक्षण
- सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रशासनों को शैक्षिक मानकों में सुधार की कई पहलों के लिये समर्थन दिया गया है।
- इनमें नयिमति इन-सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग, नए भरती किये गए शैक्षिकों के लिये इंडकशन ट्रेनिंग, व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करने के लिये गैर-प्रशिक्षित शैक्षिकों को प्रशिक्षण, छात्र-शैक्षिक अनुपात में सुधार के लिये अतिरिक्त शैक्षिक, ब्लॉक और क्लस्टर रिसोर्स सेंटर के जरिये शैक्षिकों के लिये शैक्षिक सहायता, छात्रों की क्षमता को मापने में शैक्षिकों को सक्षम बनाने के लिये लगातार और व्यापक मूल्यांकन और आवश्यकतानुसार सुधार करना तथा उचित शिक्षण-सीखने की सामग्री विकसित करने के लिये शैक्षिक और स्कूल के लिये अनुदान आदि शामिल हैं।
- बच्चों के लिये निःशुल्क और अनविरय शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 में शैक्षिकों के वैधानिक कर्तव्य और उत्तरदायित्व निर्दिष्ट किये गए हैं और प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिकों की नियुक्ति के लिये पात्रता की न्यूनतम योग्यता बताई गई है।
- एसएसए के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर 150 रुपये प्रति बच्चे और उच्च प्राथमिक स्तर पर 250 रुपये प्रति बच्चे की अधिकतम सीमा में सरकारी/स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सभी बच्चों को पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाती हैं।
- इनमें राज्य पाठ्यक्रम शुरू करने के इच्छुक मदरसे भी शामिल हैं।
- एसएसए के तहत वंचित समुदायों के बच्चों अर्थात सभी लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे के लड़कों को चार सौ रुपये प्रति वयक्त की दर से दो जोड़े यूनिफॉर्म भी दी जाती हैं।
- पहली और दूसरी कक्षा में 'पढ़े भारत, बढ़े भारत' के नाम के उप कार्यक्रम के जरिये शुरुआत से ही पढ़ने, लिखने और समझने तथा शुरुआती गणति कार्यक्रमों के लिये राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सहायता भी की जाती है।
- इसका उद्देश्य कक्षा के अंदर और बाहर अवलोकन, प्रयोग, नषिकर्ष नकालने और मॉडल तैयार करने के जरिये वज्ज्ञान, गणति और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 6 से 18 वर्ष के बच्चों को शामिल करना तथा प्रोत्साहित करना है।

नषिकर्ष

देश-वदेश से प्रकाशित अनेक रपौर्टों में इस बात का उल्लेख मललता है कऱ भारत में माध्यमकऱ स्तर पर आकर बहुत से बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं, अतः माध्यमकऱ स्तर पर शकऱषा में सुधार लाने का सरकार का यह प्रयास नशऱचितऱ ही सराहनीय है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/towards-ensurin-quality-education>

